न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः--

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः--

1. ओमप्रकाश गौड़ पुत्र जयनारायण गौड़ जाति ब्राह्मण, (विक्रेता एवं मालिक) निवासी--वार्ड नं. 29 गायत्री माता मन्दिर के पास,जोरावरपुरा नोखा जिला नागौर।

फर्मः--बीकानेर मावा भण्डार, एरिया रोड़ तोषिणा तह. डीडवाना जिला नागौर।

प्रकरण संख्याः--57/2021

'' अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006''

उपस्थितिः--

1. राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर।

--:निर्णय :--

दिनांक :--12.03.2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.03.2021 को समय 11:10 ए.एम. पर फर्म मैसर्स बीकानेर मावा भण्डार, एरिया रोड़ तोषिणा, तह. डीडवाना ओमप्रकाश गौड़ पुत्र जयनारायण गौड़ जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति चेनाराम गढ़वाल पुत्र अमराराम गढ़वाल निवासी--गांव रघुनाथपुरा पो.निमोद, तह. डीडवाना जिला नागौर, निवासी--वार्ड नं. 29 गायत्री माता मन्दिर के पास,जोरावरपुरा नोखा जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते पनीर, दूध आदि रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदित की गई रसीद प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर डीप फ्रीज के अन्दर तीन लौहे के पीपों में आमजन विक्रय वास्ते खोया भरा हुआ था। प्रत्येक पीपें में लगभग 18–18 किलो खोया भरा हुआ था, मुझे इसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह खोया का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में इनमें से रेण्डमली एक पीपा खुलवाकर मे सें अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूपक र, में से 1 किलो खोया तुलवाकर स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 180/–(अक्षरे एक सौ अस्सी रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ खोया के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1534 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता ओमप्रकाश गढ़वाल एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री प्रेमचन्द भाटी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं.6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

(4.) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2021/366–367 दिनांक 20.04.2021 के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या L.S/161/Act/2021/68 दिनांक 08.04.2021 से खाद्य पदार्थ खोया की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ओमप्रकाश गौड़ से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया का नमूना Q–1534 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zz)(iv) व 3(1)(zz)(xi) के तहत अनसेफ होना पाया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने ओमप्रकाश गढ़वाल को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2021/366–367 दिनांक 08.02.2021 प्रेषित किया। अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व जांच रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

मैसर्स बीकानेर मावा भण्डार की और से ओमप्रकाश गौड़, खाद्य विश्लेषक अजमेर की प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने के कारण, अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय फार्म न0 8 व मूल डीडी प्रस्तुत कर पुनः जांच हेतु अपील की जिस पर कार्यवाही करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने नमूने के दितीय भाग को श्रीमान निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को भिजवाया गया। फार्म–6ए की कार्यालय प्रति मय रजिस्ट्री की रसीद व फार्म नं.–8

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

मय प्रार्थना पत्र जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा पार्सल करने की मूल रसीद चस्पा है, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन सलंग्न है।

(5) श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक–चिकि/एफएसएसए/RFL-Mysur/2021/6668 दिनांक 27.08.2021 के साथ संलग्न निदेशक, रेफरल फूड लैबोरेट्री, मैसुर का विश्लेषण सर्टिफिकेट न0 640F/FSSA/2021 दिनांक 12.08.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ खोया का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया तथा जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा ओमप्रकाश गौड़ विक्रेता मालिक को भी रजिस्टर्ड पत्रांक चिकि/एफएसएसए/RFL-Mysur /2021/6668 दिनांक 27.08.2021 से भेजी गई। चूंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के नियम 2.4.6(i) के अनुसार रैफरल फूड लैबोरेट्री से प्राप्त जांच रिपोर्ट अन्तिम है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व विश्लेषण सर्टिफिकेट, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता चेनाराम गढ़वाल को प्रेषित की गई।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा–51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(6) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 28.02.2022 को प्रतिवादी ओमप्रकाश गौड़ ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि –

यह है कि प्रार्थी लोकन्याय की भावना से प्रेरित होकर स्व इच्छा से जुर्म स्वीकार करता है। आइन्दा गलती नहीं करेगा। प्रार्थी गरीब मजदूर व्यक्ति है। जिसमें प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए निस्तारण किया जाना लाजमी है।

अतः प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुऐ प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

(7) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 28.02.2022 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन कर न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(8)प्रकरण में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 26.03.2021 को समय 11:10 ए.एम. पर फर्म मैसर्स बीकानेर मावा भण्डार, एरिया रोड़ तोषिणा, तह. डीडवाना ओमप्रकाश गौड़ पुत्र जयनारायण गौड़ जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति चेनाराम गढ़वाल पुत्र अमराराम गढ़वाल निवासी–गांव रघुनाथपुरा पो.निमोद, तह. डीडवाना जिला नागौर, निवासी–वार्ड नं. 29 गायत्री माता मन्दिर के पास,जोरावरपुरा नोखा जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते पनीर, दूध आदि रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदित की गई रसीद प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(9) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर डीप फ्रीज के अन्दर तीन लौहे के पीपों में आमजन विक्रय वास्ते खोया भरा हुआ था। प्रत्येक पीपें में लगभग 18–18 किलो खोया भरा हुआ था, मुझे इसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह खोया का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में इनमें से रेण्डंमली एक पीपा खुलवाकर मे सें अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, में से 1 किलो खोया तुलवाकर स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 180/–(अक्षरे एक सौ अस्सी रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ खोया के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1534 को नियमानुसार गोद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता ओमप्रकाश गौड़ एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–बीकानेर मावा भण्डार, एरिया रोड़ तोषिणा तह. डीडवाना जिला नागौर, विक्रेता मालिक ओमप्रकाश गौड़ पुत्र जयनारायण गौड़, निवासी– वार्ड नं. 29 गायत्री माता मन्दिर के पास, जोरावरपुरा नोखा जिला बीकानेर से खाद्य पदार्थ खोया को खाद्य सुरक्षा एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, प्रेमचन्द भाटी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त कर शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। विक्रेता ओमप्रकाश गौड़ ने खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने के कारण अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रेफरल फूड लैबोरेट्री मैसूर से जांच करवाने हेतु आवेदन किया। अभिहित अधिकारी ने नमूने के दितीय भाग को रेफरल फूड लैबोरेट्री को जांच हेतु भेजा। रेफरल फूड लैबोरेट्री पुणे की जांच रिपोर्ट अनुसार नमूना सबस्ट्रेडर्ड होना पाया गया पत्रावली पर रेफरल फूड लैबोरेट्री पूणे के FORM-A सिर्टिफिकेट नं. 640F//FSSA/2021/2021 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- And i am of the opinion that, the sample is **"Substandard"** as define under Section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act 2006 as it **does not conform** to the standards laid down for **Khoa** under the provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 thereof, in that:

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ खोया की जांच रिपोर्ट संख्या LS/161/Act/2021/68 दिनांक 08.04.2021 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ओमप्रकाश गौड़ से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया का नमूना Q–1534 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनसेफ पाया गया है। जिसकी जांच रिपोट, विक्रेता मालिक ओमप्रकाश गौड़ को प्रेषित की गई। जिससे संतुष्ट नहीं होने से विक्रेता ओमप्रकाश गौड़ ने पुनः रेफरल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

लैबोरेट्री से जांच करवाने हेतु अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र मय फार्म न. 8 व मूल डीडी प्रस्तुत कर अपील की जिस पर अभिहित अधिकारी ने निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को नमूना भिजवाया। निदेशक रेफरल लैबोरेट्री मैसूर का विश्लेषण सर्टिफिकेट न. 640F/FSSA/2021 दिनांक 12.08.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ खोया का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य है। निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला रेफरल लैबोरेट्री, मैसूर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है।

धारा 51:–अवमानक खाद्य के लिए शास्ति:–

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का जो रूपये पांच लाख रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(10) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के पत्र क्रमांक:चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2021/366–367 दिनांक 20.04.2021 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है। जिससे संतुष्ट नहीं होने पर पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रेफरल लैबोरेट्री मैसूर से करवायी गई जिसके तहत उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म–बीकानेर मावा भण्डार, एरिया रोड़ तोषिणा तह. डीडवाना जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–51 के तहत प्रतिवादी ओमप्रकाश गौड़ पुत्र जयनारायण, निवासी–वार्ड नं.29 गायत्री माता मन्दिर के पास, जोरावरपुरा नोखा जिला बीकानेर फर्म:–बीकानेर मावा भण्डार, एरिया रोड़ तोषिणा तह. डीडवाना जिला नागौर पर राशि रुपये 250000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(11) आदेश दिनांक 12.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना